

28-09-18

27-12-18 संतोष

27-12-18

अभिभावक गण द्वारा कार्य स्थगित रखने के कारण पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27-08-19 को पेश हो।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

25.2.19


आज यह पत्रावली न्याय कपील-2 के
 ज.पज दि. 25.2.19 नाम कपील को
 नदी चलने प्रस्तुत किए जाने पर आज
 पेश हुई। अपील-20 कपील वकील श्री महाराज
 सिंह के साथ स्वयं उपस्थित हुए। वकील अपील-26
 के ध्वारा ज.पज में अंतर कपील को दोहराने
 उल्लेख किया कि कपील-25 को इस कपील
 के माध्यम से कोई अनुरोध नहीं किया जा सकता
 से आवश्यकता नहीं है। इसलिए कपील-25
 को इस कपील को अंतर न चलाना जहाँ
 नोट प्रैक में स्वारिज करना चाहते हैं।
 कपील-25 के कपील पर प्रकाश किताब एवं
 पत्रावली का अवलोकन किया गया। कपील-25
 एवं वकील कपील-25 धारा प्रकाश को अंतर
 न चलाना जहाँ नोट प्रैक में स्वारिज किए
 जाने की प्रेरणा जाहिर की है। कपील कपील
 की तरफ से कोशिश पर हस्ता. भी किए
 हैं ऐसी स्थिति में इस कपील को अंतर चलाने
 जाने का कोई अवसर नहीं रह जाता है।
 लिखित यह कपील कपील-25 के ध्वारा अंतर न
 चलाने जाने के कारण इसी स्तर पर नोट प्रैक
 में स्वारिज की जाती है। अपील केवल सुधार हेतु
 काइ प्रैक दायित्व दफ्तर की जाने।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

एड-2196
27-12-18

श्री
राधवीर

वकील
श्री
श्री



2/4550/m.125512

2/2-श्रीमती मीना पुत्री स्व. मूलचंद

2/3- श्रीमती केला पुत्री स्व. मूलचंद